

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-02122021-231536
SG-DL-E-02122021-231536

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्राहायण 10, 1943 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 289
No. 362] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943 [N. C. T. D. No. 289

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 13/एन.एँफ़.डी./टीसी/-केलिंग/2020-2021/7495-7502.— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर आरआरटीएस संरेखण, नई दिल्ली - दिल्ली एनसीआर में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.6957 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(3)			(4)
दिल्ली गाजियाबाद- मेरठ कॉरिडोर आरआरटीएस संरेखण, नई दिल्ली - दिल्ली	280	263	543	5430

एन.सी.आर. में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु ।				
योग	280	263	543	5430

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 3,09,51,000/- रुपये (तीन करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक नवीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (543 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 5430 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का यमुना नदी के पश्चिमी तट पर डीएनडी फ्लाईवे से सटी भूमि (लगभग 2.14 हेक्टेयर), यमुना नदी के पश्चिमी तट पर मेट्रो लाइन के बगल में एन.एच.-24 से सटे भूमि (लगभग 3.71 हेक्टेयर) पर किया जाएगा ।	5430	3,09,51,000 /-	उप-वनसंरक्षक (केंद्रीय)/ वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 280 वृक्षों का प्रत्यारोपण यमुना नदी के पश्चिमी तट पर डीएनडी फ्लाईवे से सटे भूमि पर (लगभग 1.00 हेक्टेयर) स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।			

- उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 5430 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था (दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग के माध्यम से) द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।
- 543 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 5430 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग के माध्यम से अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।
- यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है ।
- अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।
- उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।
- जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिये आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) को प्रस्तुत किया जाएगा ।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) को प्रस्तुत की जाएगी ।

10. उपभोगी संस्था द्वारा 263 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 263 वृक्षों की अनुमति 280 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप-वन संरक्षक (केंद्रीय) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
 11. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
 12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
 13. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
 14. 543 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
 15. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
 16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
 17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
 18. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
 19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
 20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) को भी दी जाएगी।
 21. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 22. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
 23. (अ) उपभोगी संस्था द्वारा 543 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
(ब) वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार केवल उपभोगी संस्था (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) के साथ पत्राचार करेगा, हालांकि उपभोगी संस्था विभिन्न एजेंसियों से कटाई/ प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्राप्त कर सकती है।
 24. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उस वृक्ष को घोंसला स्थानांतरित करने के पश्चात ही काटा जाएगा।
 25. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।
- यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2021

F.No.13/NFD//TC/Felling/2020-21/7495-7502.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 1.6957 ha. approx. as detailed below for the implementation of Regional Rapid Transit System in Delhi NCR- Requirement in Delhi Ghaziabad-Meerut Corridor RRTS alignment, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)			(3)
Implementation of Regional Rapid Transit System in Delhi NCR- Requirement in Delhi Ghaziabad-Meerut Corridor RRTS alignment, New Delhi	280	263	543	5430
Total	280	263	543	5430

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. National Capital Region Transport Corporation (NCRTC), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 3,09,51,000 /- (Rs. Three Crore Nine Lakh Fifty One Thousand Only)) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Sl.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation/ felling of 543 trees i.e 5430 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun along with other native species shall be carried out by User agency at Land adjoining DND Flyway on Western Bank of River Yamuna (approx. 2.14 ha.), land adjoining NH-24 next to Metro Line on western bank of River Yamuna (approx. 3.71 ha.).	5430	3,09,51,000/-	Deputy Conservator of Forests (Central)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 280 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Land adjoining DND Flyway on Western Bank of River Yamuna (approx. 1.00 ha.).			

2. 100% Compensatory Plantation of 5430 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency (through Horticulture Department of DDA) for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. 5430 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal of 543 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency through Horticulture Department of DDA with their own funds.
4. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

5. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
6. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
7. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
8. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of DPTA, 1994 before initiating felling/ transplantation.
9. User Agency shall be responsible to arrange to maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and submit a copy of same at end of each financial year.
10. The transplantation shall be carried out prior to felling of 263 nos. of trees permitted herein. The 263 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 280 trees and submission of compliance certificate to DCF (Central).
11. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
12. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating transplantation/ felling.
13. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
14. Permission for transplantation/ felling of 543 trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
15. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
16. Before removal of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
17. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
18. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
19. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
20. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (Central) by User Agency.
21. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (Central) by User Agency.
22. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
23. (a) Transplantation/ felling of any tree apart from 543 trees by User Agency shall constitute an offence under DPTA, 1994.
(b) Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi shall make correspondence with User Agency (NCRTC) only although User Agency may get felling/transplantation and Compensatory Plantation from different agencies.
24. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/transplant till the same is abandoned by the birds.
25. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)